



सिकंदराबाद दर्पण

त्रैमासिक ई-पत्रिका (दिसंबर-2025 – फरवरी-2026) अंक-VII



राजभाषा विभाग



सिकंदराबाद मंडल

संरक्षक

श्री आर.गोपाल कृष्णन,
मंडल रेल प्रबंधक
एवं
अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी



संपादक

श्री एम.के.नागराजु
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी



सहयोग

श्री प्रणय कुमार सिंह,
कनिष्ठ अनुवादक



संपादकीय संपर्क

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी,
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
सिकंदराबाद, (द.म.रे),
500003
दूरभाष: 88112
ई.मेल: srascrsc@gmail.com



मंडल रेल प्रबंधक का संदेश



यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सिकंदराबाद मंडल का राजभाषा विभाग हिंदी में नियमित रूप से “सिकंदराबाद दर्पण” त्रैमासिक ई-पत्रिका का विमोचन कर रहा है.

यह पत्रिका राजभाषा के अतिरिक्त मंडल पर विभिन्न विभागों की गतिविधियों की सूचनाओं का माध्यम है. इस पत्रिका को सुसज्जित करने वाले सभी संपादक मंडल सदस्यों, लेखकों एवं सहयोगियों को उनके सतत प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं.

आशा है कि त्रैमासिक ई-पत्रिका का यह अंक आपको प्रेरणा देगा तथा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा.

मैं इस पत्रिका की सफल प्रकाशन की कामना करता हूं.

शुभकामनाओं सहित,

(श्री आर. गोपाल कृष्णन)
मंडल रेल प्रबंधक एवं
अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादकीय

संपादक के कलम से



प्रिय रेलकर्मियों,

सिकंदराबाद मंडल द्वारा प्रकाशित “सिकंदराबाद दर्पण” ई-पत्रिका का 7 वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। हमारा सदैव प्रयास है कि “सिकंदराबाद दर्पण” का प्रत्येक अंक सुधी पाठकों की अपेक्षा व आकांक्षाओं पर खरा उतरे।

हिंदी भाषा केवल संवाद का साधन नहीं वरन यह हमारी साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में निरंतर रचनशीलता, गतिशील समाज, संस्थाओं एवं संगठनों का सूचक है। इस विभागीय राजभाषा पत्रिका को प्रकाशित करने का उद्देश्य रेलवे में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों के बीच लेखन प्रतिभा को उजागर करना है। जिससे राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रेल कार्यालयों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जा सके।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन व अनुपालन प्रभावी रूप से हो, इसका एक मात्र उपाय है कि रेल कर्मियों के हृदय में राजभाषा के प्रति लगाव, निष्ठा और प्रेम का भाव जाग्रत किया जाए ताकि स्वभाविक रूप से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकें। राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य राजभाषा विभाग के प्रमुख दायित्वों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा नीतियों के अनुरूप सरकारी कामकाज हिंदी में करना तथा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

इस अंक में हमने विभिन्न विषयों पर रोचक लेख, कहानी तथा कविताओं को संकलित कर विशेष रूप से समावेश किया है। साथ ही इसमें राजभाषा के अतिरिक्त सिकंदराबाद मंडल की विभिन्न गतिविधियों की झलकियों को प्रकाशित किया गया है। इससे रेलकर्मियों एवं पाठकों का मनोबल बढ़ेगा एवं पत्रिका को बेहतर बनाने में हमें मदद मिलेगी।

हम अपने रचनाकारों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

शुभकामनाओं सहित,

श्री एम.के.नागराजु
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद

अनुक्रमणिका

क्र.सं	शीर्षक	लेखक / कवि	पृष्ठ
1	राजभाषा नीति एवं उसका कार्यान्वयन	श्री एम.के.नागराजु वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/ सिकंदराबाद	1
2	युवाओं की बदलती जीवन शैली	श्री प्रणय कुमार सिंह कनिष्ठ अनुवादक/ सिकंदराबाद	7
3	महिला	सी.एच सूर्यनारायण आरएस-III/वमंवाप्र/का/सिकं.	9
4	न्याय कहाँ है	शांतनु चक्रवर्ती, मुख्य कार्यालय अधीक्षक वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद	10
5	सानिध्य	वी.निर्मला वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद	13
6	परीक्षा का भूत	अनिकेत कुमार आशुलिपिक/वमंसिवदूइंजी/सिकं.	14
7	नमन है, हे नारी शक्ति	अंजना शर्मा कनिष्ठ लिपिक , वमंसिवदूइंजी/का /सिकंदराबाद	15
4	हम जैसे बिखरे लोग	जितेन्द्र कुमार, तक -1 वसेइंजी/विद्युत/अनु/का/हैदराबाद	16
5	राजधानी एक्सप्रेस: एक अनकही दास्तां	जितेन्द्र कुमार, तक -1 वसेइंजी/विद्युत/अनु/का/हैदराबाद	18
6	गीतिका अनुपात की	अजय कुमार पाण्डेय वरि.यात्री गाड़ी प्रबंधक/सिकंदराबाद	22
7	बेटी हूं अभिशाप नहीं- भाग-2 (ममता की हार)	दुष्येन्द्रजीत टीएम-III / वसेइंजी/का/सिरपुरकागजनगर	23
8	उगादी की पौराणिक मान्यता	मुकेश कुमार बैरवा तक-I/डीजल लोको शेड/काजीपेट	24
9	कुछ पाने की तलाश में	लक्ष्मण कुमार तक -1 /वसेइंजी/सवमाडि/बीदर	25
10	सिकंदराबाद मंडल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां		26
11	राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां		30

राजभाषा नीति एवं उसका कार्यान्वयन

© श्री एम.के.नागराजु

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद

भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं, जो देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं। इस विविधता के बीच प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सके। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसके विकास एवं प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सुविचारित राजभाषा नीति का निर्माण किया गया। राजभाषा नीति केवल एक भाषा के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता, भाषाई समन्वय, और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है, लेकिन 343 (2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् सन् 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जायेंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा। उपर्युक्त 15 वर्षों की अवधि में भी, अर्थात् 1965 के पहले भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी काम के लिए अंग्रेज़ी के अलावा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकते थे। अनुच्छेद 334 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 344 में यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई। 1950 में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रकाशन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे- प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि-शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि-साहित्य का हिन्दी में अनुवाद, अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण और हिन्दी टाइप राइटर्स एवं अन्य साधनों की व्यवस्था आदि।

शब्दावली निर्माण

शब्दावली निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य चालू किया। बाद में हिन्दी विभाग का विस्तार होते होते सन् 1960 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की भी स्थापना की गई। निदेशालय तथा आयोग ने अब तक विज्ञान, मानविकी, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा प्रशासन आदि के लगभग 4 लाख

अंग्रेज़ी के तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित कर दिए हैं। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी आयोग) तथा राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है।

राजभाषा के संबंध में सांवैधानिक व्यवस्थाएं

1. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।
2. केंद्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेज़ी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। उसी प्रकार, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेज़ी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ-साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों, आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
4. राजकाज अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित कागजातों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है-
 1. संकल्प
 2. सामान्य आदेश
 3. नियम
 4. अधिसूचनाएं
 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
 6. प्रेस विज्ञप्तियां
 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
 8. सरकारी कागजात
 9. संविदाएं
 10. करार
 11. अनुज्ञप्तियां
 12. टेंडर नोटिस
 13. टेंडर फार्म
5. धारा 3 (4) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेज़ी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण हो, तो अपना सरकारी कामकाज उसी भाषा में कर सकता है और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित नहीं होना चाहिए।
6. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3 (5) के रूप में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी

रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेज़ी का प्रयोग खत्म करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे.

7. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए, अंग्रेज़ी भाषा के अलावा, हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है. तथापि यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेज़ी से भिन्न किसी भाषा में दिया या पारित किया जाता है तो उसके साथ साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद भी किया जायेगा.

राजभाषा नियम 1976

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हिन्दी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिली है। इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं-

- केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में भेजे जायेंगे. यदि किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा.
- केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र) के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यतः हिन्दी में भेजे जायेंगे. यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जायेगा. इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं.
- केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य का संघ क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जायेंगे. यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी साथ भेजा जायेगा.
- केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेज़ी में हो सकता है. किंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिन्दी में होगा. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए. 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के किन्हीं दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किए जाने का प्रावधान है.
- हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जायेंगे. हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षर किये गए आवेदनों या अभ्यावेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जायेंगे.
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी.
- केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फ़ाइलों में हिन्दी या अंग्रेज़ी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेज़ी, दोनों में

द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जायेंगे। सभी फ़ार्मों और रजिस्ट्रों के शीर्ष, नापमट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिन्दी और अंग्रेज़ी में द्विभाषिक रूप में होंगी।

- जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी या कार्य साधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जायेगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करके उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ़्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है।
- प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां –

केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) 25 या इससे अधिक है, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। 1976 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार ऐसे 58 नगरों में भी, जहाँ 10 या इनसे अधिक केंद्रीय कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है, जो उनकी समस्याओं पर आंतरिक रूप से विचार करके उनका समाधान ढूँढती है।

राजभाषा समितियां निम्नलिखित हैं :-

1. केन्द्रीय हिंदी समिति :-

- यह राजभाषा की सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है।
- इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- सदस्य गृहमंत्री राज्यमंत्री, तथा 6 केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्री, 6 राज्यों के मंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक तथा हिंदी के विद्वान, समाजसेवी तथा पत्रकार।

उद्देश्य

1. हिंदी राजभाषा की प्रगति तथा प्रयोग पर निगरानी रखना।
2. सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोगार्थ तथा उपरोक्त उद्देश्यों हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों में समन्वयार्थ गठित शीर्षस्थ समिति।

2. संसदीय राजभाषा समिति :-

- इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा - 4 के अधीन 1976 में किया गया।
- इस समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री होते हैं।
- इस समिति के 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोक सभा से, तथा 10 राज्य सभा से।
- यह समिति सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और राज्य सरकारों को भेजा जायेगा। संसद तथा राज्य सरकारों द्वारा इस पर अभिव्यक्त मत पर विचार करने के बाद उसके सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के लिए राष्ट्रपति निर्देश जारी करेंगे।

उद्देश्य :-

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करके उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

विभिन्न स्तरों पर गठित उप समितियां :-

1. कार्य संचालन के लिए समिति को तीन उप - समितियों में विभाजित किया गया है जिसके लिए संयोजक, अध्यक्ष व्दारा नामित किये जाते है.
2. इसके अतिरिक्त एक आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति भी गठित है, जो संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारक उपसमिति है.
3. संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते है तथा उपरोक्त तीनों उपसमितियों के संयोजक इस समिति के सदस्य होते है.
4. इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष तीनों उपसमितियों में से एक - एक सदस्य को आलेख एवं साक्ष्य उपसमितियों में सदस्य नामित करते है.
5. इन उपसमितियों द्वारा निरीक्षणों व संवाद के आधार पर आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति व्दारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन का मसौदा तैयार किया जाता है. प्रतिवेदन में समिति द्वारा विभिन्न संस्तुतियां की जाती है.
6. समिति द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की अधिप्रमाणित प्रतियां संसद के पटल पर रखी जाती है. इन संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों से मंत्रणा व परामर्श के आधार पर तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त किये जाते है.

3. हिंदी सलाहकार समिति :-

- प्रत्येक मंत्रालय में ये समितियां गठित है.
- इस समिति के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री होते है.
- इसमें 15 गैर सरकारी सदस्य तथा मंत्रालय / विभाग के अधिकारी, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, तथा विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों की बैठको में भाग लेने के लिए स्थायी रूप से आमंत्रित अधिकारी इसके सदस्य होते है.
- वर्ष में कम से कम दो बैठको एवं यथासम्भव अधिक बैठको के आयोजनों का लक्ष्य.
- वैधता की अवधि तीन वर्ष तथा समय - समय पर पुनर्गठन किया जाता है.
- राजभाषा विभाग में समन्वयक की भूमिका निभाता है.

उद्देश्य :- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना व परामर्श देना.

4. रेलवे बोर्ड स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

- अध्यक्ष रेलवे बोर्ड इस समिति के अध्यक्ष होते है.
- सभी सदस्य रेलवे बोर्ड तथा कार्यकारी निदेशक एवं निदेशक इसके सदस्य होते हैं. निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं. इसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है.

उद्देश्य :-

1. मंत्रालय / विभागों में राजभाषा नीति (संवैधानिक व कानूनी प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों आदि) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने से संबंधित उपाय करना.
2. हिंदी के प्रभावी प्रयोगार्थ सफल पहलात्मक कदमों व अभिनव प्रयोगों की जानकारी का आदान - प्रदान करना.

5. क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इस समिति में सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष तथा मंडलों एवं कारखानों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी / उप मुख्य राजभाषा अधिकारी सदस्य होते हैं। उप महाप्रबंधक(राजभाषा) समिति के सदस्य सचिव होते हैं। इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है।

6. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्रत्येक मंडल के मुख्यालय में मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। सभी शाखा अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। मंडल के राजभाषा अधिकारी / वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। प्रत्येक तिमाही में इस की बैठक आयोजित की जाती है।

7. राजभाषा कार्यान्वयन उप समितियां

मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों/शेडों/डिपो में राजभाषा कार्यान्वयन उप समितियां गठित होती हैं। उस कार्यालय के प्रधान उच्च अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा उनसे निचले स्तर के अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। इस उप समिति में उस स्टेशन/शेड/डिपो के सभी अधिकारी एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं। इन उप समितियों की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं।

6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

- इसका अध्यक्ष नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी होता है।
- इसके सदस्य नगर में स्थित केंद्र सरकार के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख होते हैं।
- प्रत्येक नगर में केन्द्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंको को मिलाकर इस समिति का गठन किया जाता है जहाँ ऐसे दस या अधिक कार्यालय हिया वहां ये समितियां गठित की जाती हैं।
- इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है।
- प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त, अधीनस्थ कार्यालयों/स्टेशनो पर, जहाँ कर्मचारियों की संख्या 25 या उससे अधिक हो, वहां भी ऐसी समितियां गठित की जाती हैं जहां एक कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 25 नहीं है, वहां स्थित अन्य कार्यालयों को मिलाकर ये समितियां गठित की जाती हैं इसकी बैठक हर तीसरे महीने में आयोजित की जाती है।

निष्कर्ष

राजभाषा नीति भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य केवल हिंदी को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पूरे देश में एक सुगम, प्रभावी और समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है।

राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन तभी संभव है जब सरकार, कर्मचारी और आम जनता मिलकर इसे अपनाएं। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान और विकास भी सुनिश्चित किया जाए।

इस प्रकार, राजभाषा नीति न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाती है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करती है।

युवाओं की बदलती जीवन-शैली

© प्रणय कुमार सिंह
कनिष्ठ अनुवादक, सिकंदराबाद मंडल

किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। युवा न केवल समाज के विकास की धुरी होते हैं, बल्कि वे नई सोच, ऊर्जा और परिवर्तन के वाहक भी होते हैं। तकनीकी संसाधनों, कामकाज के दबावों और जीवन के प्रति बदलते दृष्टिकोण का असर युवाओं पर साफ दिखता है। वे पारंपरिक जीवन-शैली को छोड़ कर अधुनिकता के नाम पर कुछ इस तरह जीने लगे हैं कि उसका असर उनकी सेहत, उनकी मानसिकता और जीवनेच्छा पर भी पड़ रहा है। वे आत्मकेंद्रिकता के शिकार हो रहे हैं, असमय अनेक बीमारियों और नकारात्मक सोच की जकड़े जा रहे हैं।

हाथ में मोबाइल, कान में ईयरफोन, तेज संगीत की धुन पर थिरकते पैर, देर रात की पार्टियां, शराब, सिगरेट जैसे आदतों में पूरी तरह से अभ्यस्त हो रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, आधुनिकता और तकनीक दोनों की जकड़ में फंस चुकी है। फेसबुक, वाट्स ऐप्प, इंस्टाग्राम और ऐसी ही कई सोशल नेटवर्किंग साइटों की गुलाम बनती जा रही हैं। जीवन-शैली और सोच में व्यापक रूप से बदलाव आ गया है। हर हाथ में तेजी से पहुंच रहे स्मार्टफोन और लगभग मुफ्त इंटरनेट सेवाओं ने जीवन-शैली में बदलाव की इस प्रक्रिया में तेजी ला दी है। अब युवा सुबह उठते ही अपने स्मार्टफोन पर सोशल साइटों को चेक करने को तरजीह देते हैं। पहले युवा जल्दी उठते थे और नियमित दिनचर्या का पालन करते थे, लेकिन आज की जीवन-शैली में देर रात तक जागना और देर से उठना आम बात हो गई है। इससे उनकी दिनचर्या और स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है।

जीवन-शैली में परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण कारण

➤ वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की संस्कृति, फैशन, खान-पान और जीवन शैली का आदान-प्रदान हुआ है। आज का युवा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, जिससे उसकी सोच और व्यवहार में बदलाव आया है।

➤ शहरीकरण

शहरों के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन ने भी युवाओं की जीवन-शैली को प्रभावित किया है। शहरी जीवन तेज़, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यस्त होता है, जिससे युवाओं की दिनचर्या में बदलाव आया है।

➤ सामाजिक अलगाव

सोशल मीडिया के अधिक उपयोग के कारण वास्तविक जीवन के संबंध कमजोर हो रहे हैं, जिससे अकेलापन बढ़ रहा है। अधिकतर लोगों का स्वभाव स्वार्थ बन चुका है जिससे सामाजिक संबंधों में कमी हो रही है।

➤ नैतिक मूल्यों में गिरावट

आधुनिकता की दौड़ में कुछ युवा पारंपरिक मूल्यों और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जिससे नैतिकता में गिरावट देखी जा रही है।

➤ आत्मकेंद्रिकता

यह सामाजिक बदलाव का दौर है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से आज जहां एक ओर संपर्क का दायरा विस्तृत किया है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से युवा अकेला और आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। सिर्फ अपने बारे में सोचना- यह एक चलन का रूप ले रहा है। इट्स माई लाइफ की तर्ज पर बिना रुके आगे बढ़ती युवा पीढ़ी, अपनों को, रिश्तों को भी नकारने से गुरेज नहीं कर रही है। मैं और सिर्फ मैं- नया फलसफा है उनका, और उसके बीच में जो भी आता है, उसे छोड़ने में भी परहेज नहीं है। वे मानते हैं कि इस बदलती जीवन-शैली के साथ अगर ताल मिला कर चलना है तो इसे खुले मन से अपनाना भी जरूरी है।

असल में उनके जीने का अंदाज बिल्कुल नया है। रहन-सहन और खानपान की शैली हो या फिर उनके काम करने या सोचने का तरीका, बदलाव बड़ी तेजी से आया है। वह फास्ट लाइफ जीना चाहता है, वह शार्टकट रास्ते पर बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेना चाहता है। इस जीवन-शैली ने युवा की सोच के साथ-साथ उसकी सहनशीलता, उसके नैतिक मूल्यों में भी सेंध लगाई है। घर के खाने की जगह पिज्जा, बर्गर और मोमोज उनकी पसंद बन गए हैं। युवाओं के पहनावे में भी आधुनिकता झलकती है। वे फैशन के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं और ब्रांडेड कपड़ों को प्राथमिकता देते हैं। पारंपरिक पहनावे की जगह आधुनिक और पश्चिमी शैली ने ले ली है। इस बात का असर यह हो रहा है शारीरिक ही नहीं, युवा मानसिक रोगों का भी शिकार हो रहे हैं।

निष्कर्ष

युवाओं की बदलती जीवन-शैली आधुनिक समाज की एक सच्चाई है। यह परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम इन परिवर्तनों को सही दिशा में ले जाएं। युवाओं को चाहिए कि वे आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों को न भूलें।

यदि युवा वर्ग अपनी ऊर्जा और क्षमता का सही उपयोग करे, तो वह न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

महिला

सीएच.सूर्यनारायण
आरएस-II/वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद

अवनि जैसी सहनशील,
जिनके नयन करुणा-रस के प्याले।
ममता भरे मन की अलबेली,
नर जाति पर जिनके उपकार निराले।
माँ वसुधा के गले की तुलसी-माला,
गृह - आँगन की सुमन-बाला।
खुशियों का है वह प्रेम झूला,
जिनके पास है सम्मोहन की कला।
जिनकी हँसी है भगवान की लीला,
जिनका हृदय है वरदानों का झोला।
दामन है बसंती चोला,
क्रोधित हों तो बनती अग्नि गोला।
लेकिन स्वभाव से है सुगंधित परिमल,
जिनसे विश्वजनीन प्रेम खिला।
वही है दिव्य शक्ति-रूपी महिला।

न्याय कहाँ है

शांतनु चक्रवर्ती
मुख्य कार्यालय अधीक्षक
वमंवाप्र/का/ सिंकदराबाद

तमीम आज बेहद खुश था। उसकी नौ साल की ज़िंदगी का आज एक खास दिन था। आज ही स्कूल खुला था और आज ही वह कक्षा का मॉनिटर चुना गया था।

वैसे पिछली छुट्टियाँ भी बहुत मज़ेदार रही थीं। वह सुबह-सुबह दादा के साथ मस्जिद तक पैदल जाता, वापसी में मोहल्ले की गलियों से घूमते हुए घर लौटता, और रास्ते में वही नीम का पेड़, वही चाय की दुकान, वही लोग—सब कुछ अपना-सा लगता था।

उसकी गली में सब उसे नाम से जानते थे; कोई उसे “तहमू” बुलाता, कोई “तिम्मी”।

पर उस दिन जब वह घर आया, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, फिर भी उसे कुछ अलग-सा महसूस हुआ। घर में जैसे एक अजीब-सा तनाव और घुटन थी। तमीम के दादा, ताहिर और उसके पिता, ताज आली, आँगन में बैठे गंभीर लहजे में बातें कर रहे थे।

तमीम के दादा ने थोड़ी ऊँची आवाज़ में कहा, “देख बेटा, यह ज़मीन मेरे अब्बा के समय से हमारी है। नब्बे साल से हमारा घर यहीं है। कोई हमें निकाल नहीं सकता。”

तमीम को यह थोड़ा अजीब लगा! वह सोचने लगा, “इतना बड़ा घर, ज़मीन, फैक्ट्री—सब कुछ हमारा है, तो कोई हमें यहाँ से क्यों निकालेगा?”

वह घर के अंदर जाकर अपना होमवर्क करने लगा। उसका भाई फरहान भी आ गया। फरहान इस साल दसवीं में था। इस साल वह स्कूल पूरा करके कॉलेज जाएगा। फरहान एक होनहार छात्र था—पढ़ाई में भी और खेलकूद में भी। लेकिन आज न जाने क्यों उसने किताबें नहीं खोलीं। वह चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गया और छत की ओर देखने लगा।

तमीम ने पूछा, “भाईजान, आज पढ़ाई नहीं करनी? कोई होमवर्क नहीं है?”

फरहान बोला, “आज मूड नहीं है, तू पढ़ ले。”

तमीम को यह थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद काम खत्म करके वह बाहर आँगन में चला गया। शाम की हल्की धूप में उसे अपने दोस्त दिखाई दिए। उसने खुशी से चिल्लाया, “आमिर! साहिल! यश भैया....”

सब इकट्ठा हुए और रोज़ की तरह वहाँ क्रिकेट का मेला लग गया। यश उनमें सबसे बड़ा था और आज कुछ उदास-सा लग रहा था। उसने विकेट के पीछे एक आसान कैच छोड़ दिया और बेज़ारी से बोला, “धत्त! आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा। चलो, सब रहीम दादू के पास बैठते हैं。”

रहीम दादू तमीम के परिवार के सदस्य नहीं थे, फिर भी थे। वे इतने बुजुर्ग थे कि तमीम के दादाजी भी उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। वे सोलह साल की उम्र में अपने पिता के साथ बंगाल से यहाँ आए थे और यहीं के होकर रह गए। उनका बेटा भी इसी फैक्ट्री में काम करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुनिया में उनका और कोई नहीं था, इसलिए तमीम के पिता और दादा ने उन्हें अपने साथ रख लिया था। वे दीन-दुनिया के जानकार थे और हर शाम बच्चे उनके पास बैठकर कहानियों का आनंद लेते थे।

आज जब सब उनके पास बैठे, तो यश ने पूछा, “दादू, क्या आप जानते हैं कि यह घर और यह ज़मीन किसकी है?”

दादू हँसे और बोले, “जब हम छोटे थे, तब यह सब खुली ज़मीन थी. तमीम के परदादा को जब यह टुकड़ा मिला था, तो उन्होंने खुद ईंटें ढोकर घर बनाया था.”

तमीम ने पूछा, “मतलब यह पूरा घर हमारे परदादा ने बनाया?”

“हाँ,” दादू मुस्कुराते हुए बोले, “और तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा—सबने अपनी पसीने की कमाई से इसे संभाला. यह सिर्फ़ मकान नहीं है बेटा, यह इज़्ज़त है.”

यश बोला, “तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ मॉल बनेगा और खूब तरक्की होगी. क्या हमें यहाँ से जाना पड़ेगा?”

“ऐसे कैसे जाना पड़ेगा?” तभी पीछे से तमीम के दादा मोहम्मद ताहिर बोले. “ज़मीन हमारे नाम है. ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाँच कर ली है, फरहान ने ही देखी थी. हमारे नाम पर दर्ज है यह ज़मीन. कोई हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकता. हम कोर्ट जाएँगे, हमें न्याय ज़रूर मिलेगा.”

इसी तरह कुछ दिन बीत गए. तमीम को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन घर का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा था. फिर अगस्त की एक सुबह उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ लेकर आई.

रोज के तरह वह अपनी माँ, फातिमा बी के डांट सुनकर नहीं, एक जोर का घड़ घड़ आवाज और एक माइक के आवाज से उठा.

कोई एक मेगाफोन में चिल्ला रहा था, “आपके पास 10 मिनट है, तुरंत घर खाली करें. यह अवैध निर्माण है और हम इसे गिराने आए हैं. 10 मिनट सिर्फ़, उसके बाद हमारा बुलडोज़र काम करना चालू कर देगा.”

इसके बाद जो कुछ हुआ, तमीम को आज छह महीना बाद भी एक सपने जैसा लगता है. उसका 90 साल पुराना घर का टूटना, रास्ते में पूरे परिवार, सारे पड़ोसियों और पिता के फैक्ट्री के करीब 120 कामगारों के परिवारों के साथ रास्ते पर धरना में बैठना, रात को बारिश में भीग कर उसका बुखार में तड़पना सब कुछ.

फरहान 10वीं का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया. वह अब ताज आली के साथ चाय के दुकान में बैठता था. तमीम अभी भी स्कूल जाता पर अब वह मज़ा नहीं आता उसे.

वे अब एक पास वाली झुग्गी में आ रुके थे. उनके पुराने घर जहाँ था वहाँ एक विशाल खड्डा था. वहाँ एक 200 करोड़ का मॉल बनने वाला था.

तमीम के सारे दोस्त, सारे पहचाने चेहरे खो गए थे. रहीम दादू अब भी उनके साथ ही रहते थे. उसके पिता ताज आली दिन भर उसके दादा के साथ कोर्ट के चक्कर लगाते, शाम को दुकान में जा कर बैठते तो फरहान कुछ देर के लिए घर या कर थोड़ा सुस्ता कर फिर से सामान ले कर भागता था.

उस शाम तमीम अपनी रहीम दादू के पास बैठा हुआ था तभी ताज आली गुस्से से बदबड़ाते हुए निकल गए, “बोल रहा है, settlement कर लो, एक एकड़ का जमीन ले लो, पैसे ले लो, केस वापस ले लो. हूह.. मैं भी देख लूँगा इनको. इनका यह प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो या 1500 करोड़ का, चाहे मेरा सारा पैसा लग जाए, यह केस वापस नहीं होगा.”

तमीम सोच रहा था, “उनके पास पैसे ही कितने थे?”

तभी फरहान आया, थोड़ा मूँह-हाथ धोया और फिर बैग लेकर निकल गया.

रहीम दादू कुछ बंगाली भाषा में बड़बड़ा रहे थे. तमीम पूछा, “क्या बोल रहे हो दादू?”

दादू हँसे, तमीम को हंसी पता नहीं क्यों रोने जैसे लगी, दादू बोले, “यह एक कविता है बच्चा, बंगाली में.”

“इस कविता का नाम है प्रश्न, इसके रचयिता रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं.

इस में कवि कहता है कि भगवान, या अल्लाह या गॉड जो भी तुम समझो, उस ने युगों-युगों से अपने दूत भेजे, जिन्होंने मनुष्यों को क्षमा, प्रेम और द्वेष-मुक्त जीवन का संदेश दिया. फिर भी मनुष्य उन उपदेशों को भूल गया और ईश्वर के दूतों को भी अस्वीकार कर दिया.

कवि ने संसार में छिपी हुई हिंसा और अन्याय को देखा है—जहाँ शक्तिशाली का अपराध भुला दिया जाता और न्याय चुपचाप कोने में बैठ रोता रहता है. कवि ने युवाओं को निराशा और पीड़ा में आत्मविनाश करते देखा है, और अंत में कवि उसी सर्वशक्तिमान से सवाल करता है कि जिन्होंने प्रेम और प्रकाश का नाश किया है—क्या उन्होंने ने उन्हें भी क्षमा कर दिया है? क्या उनसे भी प्रेम किया है?”

तमीम आज वह नौ साल का छोटा बच्चा नहीं रह गया था. ज़िंदगी के कई सारे ठोकरों ने उसे अचानक बड़ा कर दिया था. वह सोच रहा था. “न्याय कहाँ है?”

सान्निध्य

वी. निर्मला
वाणिज्य पर्यवेक्षक
वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद

मुझे पूरी सुबह नहीं चाहिए,
बस तेरे मुखड़े पर सुबह की पहली हँसी चाहिए।
मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं चाहिए,
बस तेरे चरणों की थोड़ी-सी रोशनी चाहिए।
बेकद्र-सी ज़िंदगी जी रही हूँ मैं,
बस थोड़ी-सी तेरी कद्र चाहिए।
थक गए होंगे पाँव तेरे,
बस तेरे चरणों में जीवनभर का सुकून चाहिए।

परीक्षा का भूत

अनिकेत कुमार, आशुलिपिक
वमंसिवदूईजी/सम/सिकंदराबाद

एग्जाम का भूत जब सिर पर आता है,
अच्छे-भलों का तोता उड़ जाता है।
किताबें खोलें तो नींद आती है,
रजाई से बाहर, कड़ाके की ठण्ड रुलाती है।
गणित के सवाल हैं या सर का दर्द,
उत्तर खोजने में निकल जाए नर्व।
हिस्ट्री के राजा-महाराजा सोते हैं,
हम यहाँ फ़ेल होने के सपने संजोते हैं।
पेंसिल, रबड़, स्केल सब साथ छोड़ जाते हैं,
एग्जाम हॉल में प्रश्न देखकर हम मुँह बनाते हैं।
नकल की सोचें तो टीचर की नज़र तेज़ है,
पढाई से ज्यादा, घूमने में क्रेज़ है।
हे भगवान! बस इस बार पास करा दे,
अगली बार से पढ़ेंगे, न करेंगे फरारी, वादा है ये।
(वैसे ये वादा हर साल का है,
फिर भी स्टूडेंट का तो यही हाल है।)

नमन है, हे नारी शक्ति

अंजना शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
वमंसिवदूङ्जी/का/ सिकंदराबाद

नमन है, हे नारी शक्ति।
मानव सृष्टि की उत्पत्ति तुमसे है,
लाखों कष्ट सहकर, तुमने हमें इस दुनिया में लाया।

हमारी मुस्कान को अपने आँसुओं से सींचा,
स्वर्ग से भी सुंदर होता है तुम्हारा आँचल।
नारी के इस रूप में मैंने माँ को पाया।।

नमन है, हे नारी शक्ति।
दूसरी बार बहन के रूप में मैंने तुम्हें पाया,
हमारा बचपन तुम्हारे साथ हसीन बन गया।
बहन रूप की यह गाथा अद्भुत है,
राखी के रेशम धागे से बंधा यह अनमोल नाता,
ताकि भाई सदा निराला रहे।।

नमन है, हे नारी शक्ति।
तुम्हारी हर कुर्बानी की दुनिया ऋणी है,
दूसरों का घर संवारने के लिए
तुम अपना आँगन छोड़कर आती हो।
महबूब के रूप में जीवन को हसीन बनाती हो।।

नमन है, हे नारी शक्ति।
कन्या रूप में जब तुम हमारे घर आती हो,
बेटी के रूप में हम साक्षात् देवी को पाते हैं।
जीवन धन्य हो जाता है
जब तुम्हारे चारों रूप हमें प्राप्त होते हैं।।

नमन है, हे नारी शक्ति।
राष्ट्र की स्वाभिमान हो तुम,
त्याग से भरा है तुम्हारा जीवन।
तुम समाज की आधारशिला हो,
तुम बिन अधूरी है हमारी सृष्टि।
नमन है, हे नारी शक्ति।।

हम जैसे बिखरे लोग

जितेन्द्र कुमार, तकनीशियन-1
वसेइंजी/विद्युत/अनु/हैदराबाद

हम जैसे बिखरे लोग
समझते हैं
रिश्तों की अहमियत
जिसमें शामिल होता है
नानी, दादी, बुआ, भाई, बहन और न जाने
कितने रिश्तों का प्यार
जो निर्माण करता है
एक समूचा परिवार

हम जैसे बिखरे लोग
अक्सर टूटे हुए होते हैं
भीतर से
परन्तु मुस्कुराने का हुनर
नहीं भूलते
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो

हम जैसे बिखरे लोग
मिलते तो हैं
लेकिन आपाधापी और कृत्रिम प्रकाश से जगमगाते शहरों में नहीं
बल्कि उन धूल-मिट्टी से सने,
सोंधी खुशबू से भरे
कच्ची दीवारों के बीच आंगन में
जहां खिलखिलाता है बचपन

हम जैसे बिखरे लोग
मिलेंगे
चांदनी रात में
अनगिनत तारों से भरे
खुले आकाश के नीचे
अटखेलियां करते और
बेवजह खिलखिलाते हुए
जिसमें नहीं होता है
कोई द्वेष, शिकवा और
किसी से शिकायत

हम जैसे बिखरे लोग
नहीं छिनते
किसी के होठों से हँसी
नहीं रोकते किसी का रास्ता
नही फेंकते किसी के घरों पर कोई पत्थर
बल्कि हम जैसे लोग
बनते हैं सिर्फ और सिर्फ
दूसरों के मुस्कुराने की वजह

राजधानी एक्सप्रेस: एक अनकही दास्तां

संध्या आज बहुत खुश थी। क्योंकि, आज शाम राजधानी एक्सप्रेस से उसे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जो निकलना था। उसके पिता रमाकांत बार-बार जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे, तो मां पूनम कई सूखे पकवान तैयार करने में व्यस्त थी। पिता ने ड्राइवर को पहले ही फोन कर बता दिया था कि आज शाम छः बजे हावड़ा स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन है। इसलिए वह शाम पांच बजे तक घर पहुंच जाए। संध्या अपने इंटरव्यू के सारे जरूरी कागजात अपने बैग में रखते हुए मां से बोली, मां अब खाना पैक कर दो ताकि उसे बैग में रख सकूं। मां ने सहमती में सिर हिलाया और कहा... ठीक है। शाम के पांच बजने को थे। रमाकांत गाड़ी की राह देख ही रहे थे तभी दरवाजे की घंटी बजी। पूनम ने रमाकांत को आवाज़ लगाई अजी सुनते हो... लगता है गाड़ी आ गई है। रमाकांत ने झट से दरवाजा खोल कर देखा तो नीले रंग की कार दरवाजे पर खड़ी थी। रमाकांत ने पूनम से बोले... संध्या का सारा सामान पैक हो गया न? पूनम ने हां में सिर हिलाया और संध्या को पुकारने लगी। संध्या अपने कमरे से निकलते हुए बोली... आई मां। मां ने पूनम को हिदायतें देते हुए बोली देखो बेटी आज का जमाना थोड़ा ठीक नहीं है। तुम ट्रेन में अकेले जा रही हो इसीलिए जरा सतर्क और सावधान रहना। किसी का दिया न तो कुछ खाना और न ही किसी अंजान से ज्यादा अपनापन दिखाना। और हां सफर के बीच-बीच में कॉल करते रहना। दिल्ली पहुंचने पर अपने पापा को जरूर सूचित करना। बसंत के आने तक स्टेशन परिसर में ही इंतजार करते रहना। बसंत संध्या की बुआ का लड़का था जो अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के करोल बाग में रहता था। संध्या ने मां के चरण छूए और पिता रमाकांत के साथ गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने सीट बेल्ट बांधी,

साथ ही रमाकांत और संध्या को भी सीट बेल्ट बांधने को कह कर गाड़ी स्टार्ट किया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते संध्या के मन में अनेक विचार उमड़ते-धुमड़ते रहे। इंटरव्यू को लेकर रमाकांत ने भी संध्या को कई सूत्र दिए, घर से स्टेशन तक के सफर में।

गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से हावड़ा स्टेशन पहुंच चुकी थी। रमाकांत ने ट्रॉली बैग उतारा तो संध्या ने पीठ पर छोटे बैग को लेकर प्लेटफार्म की तरफ चल दी। रमाकांत ने प्लेटफार्म टिकट लिया और प्लेटफार्म संख्या नौ पर आ गए। रमाकांत ने टिकट पर दिए गए सीट के नीचे सामान को रखते हुए संध्या से बोले... बेटी अच्छे से जाओ और जब जरूरत लगे खा लेना। हां कोई दिक्कत हो तो तुरंत 139 पर कॉल करना। संध्या ने पिता के चरण स्पर्श की, तो पिता ने कई हिदायतों के साथ आशीर्वाद दिया और प्लेटफार्म से बाहर निकल गए।

ट्रेन अब प्लेटफार्म से निकल चुकी थी और धीरे-धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद टी टी ई ने संध्या की आईडी देखकर सीट को कंफर्म किया और आगे बढ़ गया। सीट पर मिले चादर को संध्या ने सीट पर बिछाई और लेट गई। गाड़ी कई छोटे स्टेशनों को पार करते हुए आसनसोल स्टेशन पर रुकी। एक नौजवान लड़का हांफते हुए उसी कोच में चढ़ा जिसमें संध्या थी। और अपनी सीट को ढूंढते हुए संध्या के सामने वाली सीट के पास रुका। उसकी धड़कन अभी भी धौकनी की तरह चल रही थी। उसने अपने टिकट को देखा और संध्या के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी धीरे-धीरे बढ़ चली थी।

टी टी ई ने चार्ट देखकर नाम पुकारा... सुमित रंजन ! उस नौजवान लड़के ने तपाक से बोला... जी मैं ही हूँ । टी टी ई ने सीट को ओके किया और दूसरे कोच की तरफ चल पड़ा।

सुमित! जो एक बहुत ही साधारण घर का लड़का था। वह दिल्ली में रहकर एस एस सी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह देखने में सुंदर तो था ही साथ में काफी प्रतिभाशाली भी था। कई बार कुछ अंक मात्र से कुछ परीक्षाओं में असफल रहा था। लेकिन एक जिद्द थी की नौकरी तो लेकर ही रहेंगे। ट्रेन को चलते हुए आधा घंटे हो चुके थे। सुमित की धड़कन अब सामान्य होने लगी थी। उसने बैठे-बैठे घर से लाया हुआ खाना निकाला और खाने लगा। चूंकि घर से पैदल ही स्टेशन तक आया था तो जोरो की भूख लग गई थी। खाना खाने के बाद उसने लंच बॉक्स को नल के पानी से धोकर बैग में रखा। और खिड़की से लगकर एक पत्रिका निकाली और पढ़ने लगा।

संध्या के मन में इंटरव्यू को लेकर कई सवाल मन में तैर रहे थे। वह बार-बार यही सोच रही थी कि कैसे-कैसे सवाल आएंगे? और उसका उत्तर वह कैसे देगी ताकि इंटरव्यू पैनल के लोग संतुष्ट हो सके? मन में ढेर सारे विचार चल ही रहे थे कि तभी सहसा वह उठ बैठी। बीते कल के एक अखबार में वैश्विक रिलेशन पर एक लेख छपी थी, जो उसे अचानक याद आया था। संध्या उस शीर्षक से छपी लेख के कुछ मुख्य बिंदु को याद कर रही थी। कुछ बिंदु छूट न जाए इसीलिए उसने बैग से कॉपी और कलम निकालना चाही। बैग में हाथ डालकर देखा तो कॉपी तो मिली लेकिन कलम नहीं थी। वह कलम रखना ही भूल गई थी। महत्वपूर्ण और समसामयिक टॉपिक होने की वजह से उसे लिखना उचित लगा। लेकिन कलम न मिल पाने की वजह से थोड़ा परेशान हो गई। संध्या ने अपने बगल के यात्रियों पर नजर घुमाई ताकि कलम का जुगाड़ हो सके। उस जगह बैठे यात्रियों में से किसी के पास कलम नहीं थी । वह निराश होने ही वाली थी कि, अचानक सामने वाली सीट पर बैठे सुमित पर नज़र पड़ी। सुमित पत्रिका के कुछ बिंदुओं को कलम से अंडरलाइन कर रहा था। संध्या ने बिना हिचकते हुए सुमित से बोली माफ़ कीजियेगा... क्या आप अपनी कलम कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हैं ? सुमित ने आंखें ऊपर उठाई और हां में सिर हिलाते हुए संध्या की तरफ कलम बढ़ा दिया। संध्या भी कलम लेकर याद किए गए पॉइंट्स को नोट करने लगी। कुछ पॉइंट नोट करने के बाद संध्या ने सुमित की तरफ है इशारा करके कलम देनी चाही, तभी सुमित और संध्या की नज़र एक दूसरे से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को कुछ क्षण एकटक देखते रहे। पलक झपकाते हुए संध्या ने कहा जी- जी यह लीजिए अपनी कलम। संध्या की आवाज में थोड़ी हकलाहट थी। उसने शुक्रिया कहते हुए सुमित की तरफ कलम बढ़ा दी। सुमित भी झंपते हुए संध्या से कलम लिया और खिड़की से अकड़ कर पुनः पढ़ने लगा।

सुमित और संध्या की सीट आमने-सामने थी, तो सुमित पत्रिका को पढ़ाते हुए कभी-कभी नज़रें बचा कर संध्या की तरफ देख लेता था। संध्या भी कभी-कभी सुमित के तरफ देख लिया करती थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। रात के लगभग दस बज चुके थे। पेंट्रीकार से खाना बेचने वालों की आवाज़ें अब धीमी हो चुकी थी। यात्री अब लाइट को बूझाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सुमित और संध्या को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों एक दूसरे को नज़रें चुराकर देख रहे थे। दोनों के मन में कई बातें उफान मार रहे थे। सुमित और संध्या एक दूसरे के बारे में जानना तो चाह रहे थे, लेकिन शुरुआत

कैसे हो यही सोचकर दोनों अभी तक असमंजस में थे। खैर! ट्रेन के रफ्तार के साथ रात भी गहराती जा रही थी। सारे यात्री अब सो चुके थे परंतु सुमित और संध्या के दिलों के तार अभी भी झनझना रहे थे। एक कसक, एक टीस जो बार-बार दोनों के दिलों में उठ रही थी। दोनों के आंखों की नींद और दिल के चैन जा चुके थे। दोनों पूरी रात एक दूसरे को नजरे बचा कर देखते हुए काट दी।

सुबह सात बजने को था। अधिकतर यात्री अभी भी नींद के आगोश में थे। लेकिन सुमित और संध्या की आंखों में नींद के कोई निशान नहीं थे। पूरी रात वे एक दूसरे के बारे में जानने में गुजार दी थी। पैंटीकार के चाय वाले ने हल्की आवाज में आवाज लगाई चाय...चाय... अदरक वाली कड़क चाय! सुमित ने चाय वाले को आवाज़ दी और कहा एक कप चाय देना। चाय वाले ने सुमित की तरफ चाय की एक प्याली बढ़ाई ही थी कि संध्या ने कहा मुझे भी एक कप दे दीजिएगा। सुमित ने बीस रुपए चाय वाले की तरफ बढ़ाते हुए बोला...यह लीजिए दोनों कप का पैसा। चाय वाले ने कहा लेकिन हमने तो आपको एक ही कप चाय दी है। सुमित ने चाय वाले को संध्या की तरफ हल्के से इशारे किए। चाय वाला भी इशारा को समझ आगे बढ़ गया। इधर संध्या भी मुस्कुराकर मना नहीं कर पाई और दोनों चाय का आनंद लेने लगे। चाय पीने के बाद सुमित ने बात आगे बढ़ाई। आप कहां जा रही हैं? संध्या ने हल्के मुस्कान के साथ कहा दिल्ली!

सुमित- दिल्ली में आप क्या करती हैं?

संध्या- जी, इंटरव्यू देने जा रही हूं, यूपीएससी का।

सुमित- वाह! बहुत खूब। तो आप यूपीएससी की कैंडिडेट हैं! संध्या- जी।

सुमित- दिल्ली में आपका ठहरने की व्यवस्था?

संध्या- मेरी बुआ करोल बाग में ही रहती है, तो उसी के यहां।

सुमित- अच्छा, ओके।

संध्या- और आप कहां जा रहे हैं?

सुमित- जी, दिल्ली।

संध्या- आपका वहां घर है क्या? सुमित- जी नहीं। मैं वहां एस एस सी (SSC) की तैयारी करता हूं।

संध्या- बहुत अच्छी बात है। सुमित- तो इंटरव्यू के बाद तुरंत घर जाना है या कुछ दिन दिल्ली में ही रहने का प्लान है।

संध्या- अभी तो कोई प्लान नहीं है। इंटरव्यू के बाद देखा जाएगा।

सुमित- दिल्ली में इंडिया गेट, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगह हैं घूमने के लिए।

संध्या- जी,अगर इंटरव्यू के बाद रुकी तो जरूर घूमेंगे।

सुमित- आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं अब तक।

संध्या- जी,संध्या। उसने धीमी लेकिन मधुर मुस्कान के साथ बोली। और आपका?

सुमित- सुमित रंजन।

संध्या- वैसे बहुत प्यारा नाम है आपका।

सुमित- वैसे एक बात कहूं?

संध्या- कहिए...

सुमित- आप प्रतिभावान के साथ सुंदर भी बहुत हैं।

संध्या- शरमाते हुए बोली...जी शुक्रिया। आप भी न...

तभी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या छः पर धीरे- धीरे बढ़ने लगी। सभी यात्री अपने-अपने सामान को लेकर उतरने के लिए तैयार होने लगे।

सुमित और संध्या एक दूसरे को सजल नेत्रों से देख रहे थे। क्योंकि कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले थे। दोनों के दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था शायद दिल्ली थोड़ी और दूर रहती तो कुछ घंटे और बातें कर लेने का मौका मिल जाता। दोनों को ऐसा लग रहा था मानो सूर्य पहाड़ों की ओर से अस्ताचल की ओर जा रहा हो, पंछियों के झुंड अपने घोंसलों में लौट रहे हो, समंदर अपनी लहरों को समेट अथाह गहराई में खो जाना चाहता हो। लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। प्लेटफार्म पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि आ रही थी...यात्रीगण कृपया ध्यान दें हावड़ा से चलकर दिल्ली तक आने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म संख्या छः पर आ चुकी है। सारे यात्रियों के उतरने के बाद भारी मन से सुमित और संध्या ने अपने-अपने सामान के साथ कोच से उतरे और साथ-साथ स्टेशन से बाहर आए। दोनों ने एक दूसरे की मीठी यादों को अपने दामन में समेटे हुए प्यार भरी सजल नैनों से एक बार देखा। और हाथ हिलाते हुए एक दूसरे से विदा ली। इस वादे के साथ कि शायद कभी किसी मोड़ पर एक दिन जरूर मिलेंगे। और चल पड़े अपने-अपने मंजिल की ओर।

गीतिका अनुपात की

©  अजय कुमार पाण्डेय
वरिष्ठ यात्री गाड़ी प्रबंधक/सिकंदराबाद

स्वेद बूँदें कर रही हैं इस गात का श्रृंगार जब,
क्या लिखूँ फिर गीतिका में यहाँ अनुपात की .
चल पड़े जब पग हमारे फिर व्यथा से क्यों डरूँ,
राह की अब मुश्किलों से फिर भला अब क्यों टरूँ.
है नहीं कुछ मोह मन को जीत हो या हार हो,
कर्म के इस पुण्य पथ में एक सा व्यवहार हो.
कर रहे हैं पग हमारे पंथ का श्रृंगार जब
क्या लिखूँ फिर गीतिका में यहाँ अनुपात की.
क्या करूँगा जानकर के क्या मिला संसार से,
क्यों करे संचित हृदय अब नेह को मनुहार से.
स्वयं पर विश्वास कर स्वयं से व्यवहार कर लूँ,
छोड़ सारे किन्तु पथ के स्वयं से ही प्यार लूँ.
हो गया जब प्रेम मन को श्रेष्ठतम व्यवहार से,
क्या लिखूँ फिर गीतिका में यहाँ अनुपात की.
कब रहा प्रेम संचित क्रोध जो संचित रहेगा,
कौन है जो जगत में मोह से वंचित रहेगा.
कर्म के सिद्धांत में शून्य से शुरुआत होती,
भोर की पहली किरण रात के पश्चात होती .
हो गया जब कर्म संचित स्वेद के श्रृंगार से,
क्या लिखूँ फिर गीतिका में यहाँ अनुपात की.

बेटी हूं अभिशाप नहीं- भाग-2 (ममता की हार)

दुष्येन्द्रजीत, टीएम-III /सिरपुरकागजनगर

मेरी नन्ही प्यारी सी गुड़िया मुझे जान से ज्यादा प्यारी है.
तुझसे है खुशियां मेरी, मेरे आंगन की फुलवारी है.
तुम कामख्या की मूरत हो, मेरी ममता की सूरत हो.
हो ममता मेरी सफल तभी जब गूंजे तेरी किलकारी है.
है कौन-कौन यहां कौन-कौन, बस बेटी अब हो जा मौन,
एक गंध हवा में फैली है, मन में पापों की थैली है.
है गंगा-यमुना की धाराएं, पर बुद्धि वासना से मैली है.
ये धूंधला-धूंधला सा नाकाब पहने परछाई कौन खड़ी.
क्या किसी दरिंदे के कानों में तेरी किलकारी गूंज पड़ी.
घूरते कलियुगी नजरो से दुष्ट दुशासन चहुं और खड़े,
तो मूरलीधर का कर सुमरन, मेरा आंचल कमजोर पड़े-2
क्या अरुणा, निर्भया, गीता सबको कुचला, रौंदा, फैंका.
कोई तड़पी कोई निर्वस्त्र पड़ी, कोई लहुलुहान या मरी पड़ी.
कुत्ते काटे, कौआ नौचे, शव चौराहों पर पड़े मिले.
हर मौड़ पर रंगा, बिल्ला है. अब कौन तुम्हारे घाव सिले.
है राम तुम्हारी धरती पर सीता का नित रोज हरण होता
वो कृष्ण तुम्हारी धरती पर द्रौपद का चीर हरण होता.
वो त्रेता, द्वापर बीत गया, ये कलियुग का घौर अंधेरा है.
वासना के काले बादल ने मेरे आंचल को घेरा है.
चाहे कलंक बांझ सह जाना, मेरी ममता का मर जाना,
तेरी हत्यारन कहलाना, या शमशान कोख का बन जाना
खिलजी कासिम के दरबारों में, पर देख नहीं सकती तुमको
मां कामख्या की मूरत को, बिकते काले बाजारों में.
फिर दिल्ली के गलियारों में कोई निर्भया न रोती
ना शर्मसार ममता होती, जब न तू होती या मैं होती.
बस बेटी अब कुछ न कहो, तुम मौन रहो बस मौन रहो.
मैं बेबस और लाचार हुई, पापों की सीमा पार हुई.
मेरी ममता की हार हुई, मैं खुद ही खुद को मार रही.

उगादी की पौराणिक मान्यता

मुकेश कुमार बैरवा

तकनीशियन/ डीजल लोको शेड/ काजीपेट

उगादी या युगादि हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल का दिन है। इसे भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। यह इन क्षेत्रों में हिंदू पंचांग के चैत्र महीने के पहले दिन उत्साहपूर्वक मनाया जाता है।[1] यह आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। 2024 में ये 9 अप्रैल को मनाया गया था। [2] इस दिन फर्श पर रंगोली बनाई जाती है। तोरण नामक दरवाजों पर आम के पत्तों की सजावट की जाती है।[3] नए कपड़े खरीदे जाते हैं और उपहार में दिए जाते हैं। गरीबों को दान देना, तेल मालिश के बाद विशेष स्नान करना, पचड़ी नामक एक विशेष भोजन तैयार करना और मंदिरों में जाना। यह सब भी इसी पर्व को मनाने के तरीके हैं। उगादि पर्व के लिए सजी पूजा की थाली।

त्यौहार की तैयारियाँ एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घरों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है। लोग धोती समेत नए कपड़े खरीदते हैं और त्यौहार के लिए नई चीजें खरीदते हैं। अपने घरों के प्रवेश द्वार को ताजे आम के पत्तों से सजाते हैं। हिंदू परंपरा में आम के पत्तों और नारियल को शुभ माना जाता है और उगादि पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। लोग मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं। उगादि का उत्सव धार्मिक उत्साह और सामाजिक उल्लास से मनाया जाता है। इसी दिन को भारत के कई अन्य हिस्सों में हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। जिसमें महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा शामिल है।

खेल के महत्व

1. खेलों का रंग, खेलों की धूम, जीवन को बनाए खुशहाल।
2. खेलना है जीने का तरीका, खुश रहने का सबसे अच्छा मंत्र।
3. खेल जीवन का मंत्र है, आरोग्य और खुशहाली का द्वार है।
4. खेल खेलें, स्वस्थ रहें, जीवन का मजा लें।
5. खेल के मैदान में संघर्ष करें, जीवन के मार्ग पर तराशें।
6. खेल और आराम में करो खेल का चुनाव, खेलों द्वारा विकसित होता शरीर तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है इसका अच्छा प्रभाव।
7. खेल-कूद है स्वास्थ्य का मूल, इनमें भाग लेकर बनाओ जीवन अनुकूल।
8. तरह-तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार।
9. खेल समझाते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ, तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने में होते हैं समर्थ।
10. हार भी जाओ तो ग़म ना करो, फिर से खेलो मगर हौसला कम ना करो।

कुछ पाने की तलाश में

लक्ष्मण कुमार
तक-1/वसेइंजी/सवमाडि/बीदर

ये नदियां किस उद्देश्य से बहती है?
सूर्य भी जाने किस उद्देश्य से उदित होता है?
बहन-भाभी की ठिठोलियां भी जाने,
किस उद्देश्य से होती हैं?
शायद, कुछ पाने की तलाश में।
सुंदर पुष्प भी जाने किस उद्देश्य
से अर्पित किया जाता है देवताओं पर?
ऐसे ही तो नहीं बनी है ये हवाएं
जाने क्यों चली है आज पुरवइया?
क्यों, मेरी अभिलाषाएं जीवित है?
शायद, कुछ पाने की तलाश में।
किस उद्देश्य को समेटे सुबह की
लालिमा आई है?
जाने संसार भी किस उद्देश्य को पाने के लिए
करता है नित नए-नए आविष्कार ?
वाल्मीकि भी क्यों बन बैठे थे डाकुओं से तपस्वी?
शायद, कुछ पाने की तलाश में।
क्या कहना चाहती है कवि की कविताएं?
क्यों विभोर हो उठते हैं, दिव्यांग?
क्यों मौन है मन मेरा?
अपने मन की गति हेतु
कौन तरसता है?
शायद, कुछ पाने की तलाश में।
मानव, तुम किस उद्देश्य से रचते हो सारे प्रपंच?
क्या है तुम्हारा उद्देश्य?
इस भौतिक जगत में
हम सभी व्याकुल हैं
शायद, कुछ पाने की तलाश में।

सिकंदराबाद मंडल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार.

लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत बेहतरीन ऊर्जा प्रबंधन कार्य के लिए ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में “योग्यता प्रमाण पत्र” मिला है. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की घोषणा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने की है.

डॉ.आर. गोपालकृष्णन, मंडल रेल प्रबंधक, सिकंदराबाद मंडल, को 14 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर से योग्यता प्रमाण पत्र मिला. मंडल द्वारा ऊर्जा प्रबंधन उपायों को नए और असरदार तरीके से लागू करने और उनका सख्ती से पालन करने से यह प्रतिष्ठित पहचान पाने में काफी मदद मिली है.



माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा मंडल रेल प्रबंधक को “योग्यता प्रमाण पत्र” प्रदान करते हुए.

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह:

सिकंदराबाद मंडल ने 6 से 13 दिसंबर, 2025 तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया. मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण सप्ताह की शपथ दिलाई और कर्मचारी और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए दिनांक 11.12.2025 को संचालन भवन में एक वॉकथॉन भी लीड किया. डॉ. आर. गोपालकृष्णन, मंडल रेल प्रबंधक ने संचालन भवन में आयोजित ऊर्जा संरक्षण उपकरण प्रदर्शनी का भी समीक्षा किया और ऊर्जा क्षमता और निरंतर ऊर्जा-बचत अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि किया.



वार्षिक पेंसन अदालत-2025

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए दिनांक 15.12.2025 को सिकंदराबाद के संचालन भवन में वार्षिक पेंशन अदालत-2025 लगाई गई. कुल दर्ज किए गए 32 मामलों में से 32 मामले क्लियर कर दिए गए. लगभग 100 पेंशनर अदालत में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक(प्रचा), वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी, और वरि.मंडल वित्त प्रबंधक ने की.



वाजपेयी नगर में आरयूबी और सफिलगुडा में एलएचएस के निर्माण का शिलान्यास:

मलकाजगिरी के माननीय सांसद श्री एटाला राजेंद्र ने 27 जनवरी 2026 को नेरेडमेट रेलवे स्टेशन पर वाजपेयी नगर में समपार फाटक बीपी नं. 8 की जगह एक रोड अंडर ब्रिज और सफिलगुडा रेलवे स्टेशन के पास एक लिमिटेड हाइट सबवे बनाने का शिलान्यास किया. इस मौके पर मलकाजगिरी के माननीय विधायक श्री मर्री राजशेखर रेड्डी, मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद, और रेलवे के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.



“सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढकर, देश-प्रेम की धारा है.
निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है.”

महाप्रबंधक/दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा चर्लापल्ली स्टेशन पर नए रनिंग रूम का उद्घाटन

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने दिनांक 30.01.26 को मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद और दूसरे वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ चर्लापल्ली स्टेशन पर नए रनिंग रूम का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक/दक्षिण मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन के सामने का हिस्सा, आईओएच शेड, कर्मिदल लॉबी, किचन, शेड में अमृत भारत ट्रेन का निरीक्षण किया और स्टेशन पर एक पौधा लगाया, जिससे सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन फ्यूचर को बढ़ावा मिलेगा।



चर्लापल्ली में अमृत भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन की शुरुआत

दिनांक 27.01.2026 से चर्लापल्ली डिपो से एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17041/17042 (चर्लापल्ली-तिरुवंतपुरम-चर्लापल्ली) शुरू की गई है, जो हर हफ्ते मंगलवार को चलेगी। 22 कोच (एलडब्ल्यूएसपीपी-11, एलडब्ल्यूएससीएनपीपी-8, एलडब्ल्यूसीबीपीपी-1 और एलएसएलआरडीपीपी-2) वाला एक रेक चालू किया गया है और यह प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए चर्लापल्ली में है।



हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा-3 की उपधारा-(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं। निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह-2026

सिकंदराबाद मंडल ने 26 जनवरी, 2026 को वर्कशॉप और लोको रेलवे ग्राउंड में जोश और राष्ट्रीय भावना के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. मंडल रेल प्रबंधक, डॉ. आर. गोपालकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रेलवे सुरक्षा बल, स्काउट्स एंड गाइड्स की अलग-अलग टुकड़ियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया. कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और विजेताओं को पुरस्कृत किए गए.



महाप्रबंधक/द.म.रे द्वारा परली वैजनाथ-बीदर-जहीराबाद-विकाराबाद-सिकंदराबाद सेक्शन का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण.

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने 17 फरवरी 2026 को मंरेप्र/सिकंदराबाद और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ, परली वैजनाथ-सिकंदराबाद सेक्शन का विस्तृत 'रियर विंडो' वार्षिक संरक्षा निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान, महाप्रबंधक ने परली वैजनाथ, बीदर, जहीराबाद और विकाराबाद रेलवे स्टेशनों पर 'अमृत स्टेशन योजना' के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की. साथ ही, उन्होंने फुट ओवर ब्रिज (एफओबीएस), लिफ्ट, स्टेशन के बाहरी स्वरूप में सुधार और सर्कुलेटिंग एरिया जैसी यात्री सुविधाओं का भी जायज़ा लिया. इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक/द.म.रे ने लोको रनिंग रूम, कू लॉबी, सुरक्षा रजिस्ट्रों, समपार फाटक संख्या 34-ई, मुख्य ब्रिज संख्या 178, कर्व संख्या 33, और भालकी के पास चल रहे सिगनलिंग व इंजीनियरिंग कार्यों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने रनिंग कर्मचारियों के साथ उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में बातचीत की और गेटमैन के साथ परिचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा की.



राजभाषा विभाग सिकंदराबाद मंडल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां.

दि.18.12.2026 को मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद द्वारा प्रधान कार्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेते हुए.



दि.23.12.2025 अपर मंडल रेल प्रबंधक(इंफ्रा) द्वारा प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में भाग लेते हुए.



प्रेम चंद एवं मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

रेल मंत्रालय द्वारा रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी में कहानी, उपन्यास नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए मुंशी 'प्रेमचंद्र पुरस्कार' और काव्य गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 20000, द्वितीय पुरस्कार के लिए 10000 और तृतीय पुरस्कार के लिए 7000 प्रदान किया जाता है.

दि.19.12.2025 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186वीं बैठक का आयोजन.

दि.19.12.2025 को सभा गृह में मंडल रेल प्रबंधक श्री आर.गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186वीं बैठक का आयोजन किया गया. मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सिकंदराबाद दर्पण, त्रैमासिक ई.पत्रिका के अंक-VI का विमोचन किया गया. इस बैठक में प्रधान कार्यालय के डॉ श्याम सुंदर साहु, उप महाप्रबंधक(राभा) द्वारा अधिकारियों के लिए ई-ऑफिस में हिंदी में काम करने के लिए हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया.



मंडल रेल प्रबंधक के कर कमलों द्वारा सिकंदराबाद दर्पण त्रैमासिक ई-पत्रिका के अंक-VI का विमोचन करते हुए.



मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान ई-ऑफिस में कार्य करने हेतु अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.12.01.2026 को कोचिंग डिपो/सिकंदराबाद मंडल में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.22.01.2026 को सिकंदराबाद स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.02.02.2026 को कोचिंग डिपो/हैदराबाद में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.09.02.2026 को डीजल लोको शेड/काजीपेट में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की
तिमाही बैठक एवं हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन.



डीजल लोको शेड/काजीपेट के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के अंतर्गत हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को
वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हुए.



राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है.

- महात्मा गांधी

दि.09.02.2026 को विद्युत लोको शेड/काजीपेट में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन



दि.13.02.2026 को रामगुंडम स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन



दि.16.02.2026 को बेल्लमपल्ली स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन



दि.19.02.2026 को वरंगल स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन



दि.27.02.2026 को विद्युत लोको शेड/लालागुडा में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन



हिंदी में मूल टिप्पण व आलेखन पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान टिप्पण व आलेखन में हिंदी भाषी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कम से कम 20,000 शब्द तथा अहिंदी भाषी द्वारा कम से कम 10,000 शब्द हिंदी में लिखने पर एक यूनिट में 10 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार राशि मंत्रालय / विभाग और उनके अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयों में समान रूप से लागू होगी.

- प्रथम पुरस्कार (दो): - प्रत्येक 5000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (तीन): - प्रत्येक 3000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (पांच): - प्रत्येक 2000/- रुपये

राजभाषा पुरस्कार-2025

वर्ष-2024-25 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले कुल-7 कर्मचारियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में चयनित किया गया और उन्हें रेल सेवा पुरस्कार-2025 के दौरान मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।



वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद मंडल का निरीक्षण

दिनांक 02.02.2026 को वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद द्वारा कोचिंग डिपो कार्यालय/हैदराबाद एवं हिंदी पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए.



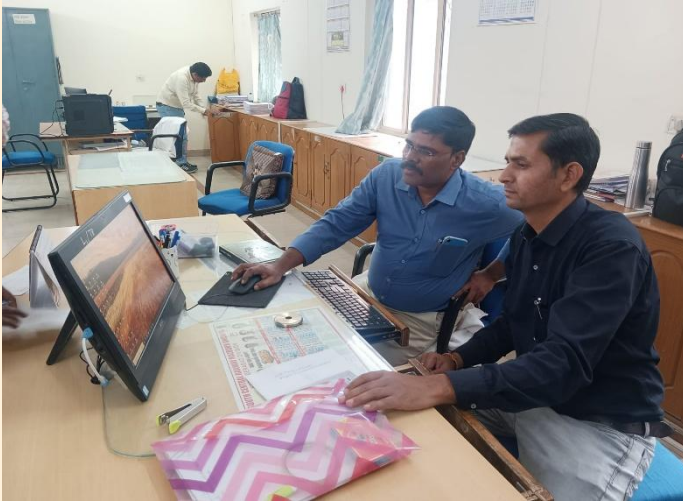
दिनांक 13.02.2026 को वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा रामगुंडम स्टेशन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए.



वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा रामगुंडम स्टेशन में हिंदी पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए.



सिकंदराबाद मंडल के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण



दि.02.02.2026 को कोचिंग डिपो कार्यालय/ हैदराबाद में हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए.



दि.09.02.2026 को डीजल लोको शेड/काजीपेट में बैठक के दौरान सामुहिक हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए.



दि.05.01.2026 को मंडल कार्यालय के वमंविड़जी/अनु विभाग में हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए.



वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/कार्यालय/भद्राचलम रोड में हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए.

रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना

कलैंडर वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने करने वाले मुख्यालय/मंडल/कारखाना से एक अधिकारी या एक कर्मचारी को प्रतिवर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा ₹3000/- नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार जे.ए ग्रेड तक के अधिकारियों को दिया जा सकता है. इसके लिए हिंदी भाषी अधिकारी व कर्मचारी का न्यूनतम 75% और अहिंदी भाषी न्यूनतम 50% कार्य हिंदी में होनी चाहिए.

कम्प्यूटर पर हिंदी इंस्टॉल कैसे करें

- सेटिंग्स: 'Setting' खोलें और 'Time&Language' पर जाएं.
- भाषा जोड़ें: 'Language' विकल्प पर क्लिक करें, फिर 'Add a Language' फिर 'Hindi' सर्च करके इंस्टॉल करें.
- **Hindi Phonetic:** हिंदी भाषा पर क्लिक करके Options में जाएं और Add a keyboard में Hindi phonetic या Hindi Input Tool चुनें.

हिंदी टाइप का उपयोग कैसे करें :

- टास्कबार (नीचे दाई ओर) पर ENG क्लिक करें और Hindi चुनें अथवा Alt+Shift दबाकर Language Option को बदल सकते हैं.
- नीचे दिए गए कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग कर हिंदी में टाइप कर सकते हैं.



राजभाषा नियम				<u>आइए हिंदी सीखें</u>	
संविधान की अष्टम अनुसूची के अनुसार भारत की कुल 22 भाषाएं हैं.					
हिंदी			Acknowledgement	पावती	
असमिया	उड़िया	उर्दू			
कन्नड़	कश्मीरी	गुजराती	Concurrence	सहमति	
तमिल	तेलुगु	पंजाबी			
बंगला	मराठी	मलयालम	Confidential	गोपनीय	
संस्कृत	सिंधी	मणिपुरी	Declaration	घोषणा	
नेपाली	कोंकणी	मैथिली	Eligibility	पात्रता	
संथाली	बोडो	डोंगरी			
हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है, जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है.					
मैथिलीशरण गुप्त					
“यह समाचार पत्रिका सिकंदराबाद मंडल की गतिविधियों को राजभाषा में साझा करने हेतु प्रकाशित की जा रही है”.					

